



30 March, 2024

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (सरकारी ई-बाज़ार)

संदर्भ: वर्तमान वित्तीय वर्ष के समापन पर, गवर्नमेंट/सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) ने सकल व्यापारिक मूल्य (GMV) में ₹4 लाख करोड़ को पार कर एक वर्ष के भीतर अपने कारोबार में दोगुनी वृद्धि दर्शाई है।

➤ GeM की डिजिटल क्षमताएं और खरीद प्रभाव:

- GeM की डिजिटल कार्यप्रणाली ने सार्वजनिक खरीद में एक नवीन क्रांति का संचार किया है और दक्षता एवं पारदर्शिता बढ़ाई है।
- GeM पर सेवाओं की खरीद ने भी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसने पिछले वित्तीय वर्ष में 205% की उल्लेखनीय वृद्धि के साथ GMV में लगभग 50% का योगदान दिया है।

➤ बाज़ार तक पहुंच और लघु उद्यमों की सशक्तिकरण:

- GeM ने छोटे घरेलू उद्यमियों के लिए बाधाओं को दूर कर सरकारी निविदाओं का लोकतंत्रीकरण किया है।
- यह सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच प्रदान करता है, साथ ही राज्यों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप नवीन समाधान प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाता है।

➤ राज्य और केंद्र सरकार की भागीदारी:

- विभिन्न भारतीय राज्यों, विशेष रूप से गुजरात, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की बढ़ती भागीदारी ने GeM के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
- सम्बंधित मंत्रालयों और सीपीएसई सहित केंद्रीय संस्थाओं ने इस विकास में महती भूमिका निभाई है, जिन्होंने ₹4 लाख करोड़ के लक्ष्य में लगभग 85% का योगदान दिया है।

➤ नेटवर्क विस्तार और अंतिम छोर कनेक्टिविटी:

- पंचायत और सहकारी समितियों सहित सरकारी खरीदारों और विक्रेताओं द्वारा GeM का व्यापक नेटवर्क उपयोग, इसके लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक रहा है।
- सीएससी और भारतीय डाकघर जैसी स्थानीय संस्थाओं के साथ एकीकरण से अंतिम छोर तक आउटरीच और क्षमता निर्माण को अधिकतम किया गया है।

➤ समावेशी पहल और सीमांत विक्रेता समर्थन:

- 'वोकल फॉर लोकल' और 'वुमनिया' जैसी GeM पहल समावेशिता को बढ़ावा देती है, जिसमें लगभग 50% ऑर्डर हाशिए पर मौजूद विक्रेता क्षेत्रों को दिए जाते हैं।
- सीएससी और भारतीय डाकघरों के साथ सहयोग ने क्षमता निर्माण प्रयासों को बढ़ावा दिया है, साथ ही रोजगार सृजन और आय वृद्धि को बढ़ावा दिया है।

➤ तकनीकी प्रगति और टीसीएस के साथ साझेदारी:

- टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ GeM के सहयोग का उद्देश्य अपने तकनीकी बुनियादी ढांचे को बढ़ाना, उपयोगकर्ता अनुभव में सुधार करना और अधिक समावेशिता सुनिश्चित करना है।
- यह प्लेटफॉर्म 12,070 से अधिक उत्पाद श्रेणियों और 320 से अधिक सेवा श्रेणियों की पेशकश करता है, जो सार्वजनिक खरीद के लिए वन-स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करता है।

➤ उपलब्धि:

- GeM की 2016 में GMV में ₹422 करोड़ से ₹4 लाख करोड़ तक की यात्रा सार्वजनिक खरीद में इसकी तीव्र वृद्धि और वैश्विक महत्ता को दर्शाती है।
- दक्षता, पारदर्शिता और समावेशिता के लिए प्रतिबद्ध, GeM सार्वजनिक खरीद परिदृश्य को निरंतर प्रोत्साहित कर रहा है।

Key Features



End-to-end System
From vendor/buyer
Registration to
payment



Registration
authentication
through Aadhar,
PAN, MCA 21.



Highly Secure
Contract
documents
generated online
and e-signed.



Multiple
procurement options
- Direct purchase
- L1
- Bidding
- Reverse Auction



Complete
audit trail
From supply order to
bill generation &
payment in one place



Multiple payment
Options like
Banking, PFMS etc.



Quick payment
within 10 days



Market Page
view, search, filters,
compare &
add to cart



Price comparison
with major
e-commerce sites.



Notifications
through emails
and SMS.



Training and
call centre
support

राज्यपालों और राज्य सरकारों के बीच मतभेद

संदर्भ: हाल ही में, केरल सरकार ने उच्चतम न्यायलय में कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिना कोई कारण बताए राज्य के चार विधेयकों को मंजूरी दे दी है।

➤ राज्यपाल की शक्तियाँ एवं उत्तरदायित्व:

- राज्यपाल, जिसे एक गैर-राजनीतिक व्यक्ति के रूप में देखा जाता है; के पास कुछ संवैधानिक शक्तियां होती हैं, जिसमें राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों को अनुमति देने या रोकने की क्षमता निहित है।
- इसके अतिरिक्त, राज्यपाल किसी पार्टी को अपना बहुमत साबित करने के लिए आवश्यक समय निर्धारण में अहम भूमिका निभाते हैं, विशेषकर चुनाव में त्रिशंकु निर्णय के सम्बन्ध में।

➤ राज्यपाल-राज्य संबंधों में निहित टकराव वाले बिंदु:

- हाल के वर्षों में विभिन्न मुद्दों पर तनाव देखा गया है, जैसे सरकार बनाने के लिए पार्टी का चयन, बहुमत साबित करने की समय-सीमा और विधेयकों को संभालना इत्यादि।
- इसके उदाहरणों में वर्ष 2018 में जम्मू-कश्मीर विधानसभा का विघटन और वर्ष 2019 में महाराष्ट्र सरकार का गठन शामिल है।
- इसके अलावा पश्चिम बंगाल में कानून-व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर राज्यपाल की टिप्पणियों से भी तनाव बढ़ गया है।

➤ कानून निर्माण में राज्यपाल की भूमिका:

- संविधान का अनुच्छेद 200 कानून बनाने की प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को रेखांकित करता है, जिसमें विधेयकों पर सहमति देने, रोकने या आरक्षित रखने के विकल्प शामिल हैं।
- राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर कार्रवाई करने के समय के संबंध में इस प्रावधान में अस्पष्टता ने कई विवादों को जन्म दिया है, जिससे राज्यों को उच्चतम न्यायालय का सहारा लेना पड़ा है।
- इस संबंध में यदि सहमति रोक दी जाती है, तो राज्यपाल राज्य विधायिका से विधेयक पर पुनर्विचार करने का अनुरोध कर सकते हैं, लेकिन इस कार्रवाई के लिए कोई समय-सीमा निर्दिष्ट नहीं है।

➤ कानून निर्माण प्रक्रिया में राष्ट्रपति की भूमिका:

- ऐसी स्थितियों में जहां कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेजा जाता है, राष्ट्रपति या तो सहमति दे सकते हैं या रोक सकते हैं।
- अनुच्छेद 201 उस प्रक्रिया की रूपरेखा बताता है जिसमें राष्ट्रपति राज्यपाल से विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल को वापस करने का अनुरोध कर सकता है।

Face to Face Centres





30 March, 2024

- यदि विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा एक बार फिर पारित हो जाता है, तो इसे राष्ट्रपति के पास वापस भेजा जाना चाहिए, जो पुनर्विचार पर सहमत देने के लिए बाध्य नहीं है।

➤ **सुधार और सिफारिशें:**

- विभिन्न आयोगों ने राज्यपाल-राज्य संबंधों से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए सुधारों की सिफारिश की है, जिसमें राज्यपालों की चयन प्रक्रिया और कार्यकाल में सुधार आदि भी शामिल है।
- हालांकि, अभी तक किसी भी सरकार ने इन सिफारिशों को लागू नहीं किया है।
- राज्य विधानमंडल द्वारा राज्यपाल पर महाभियोग चलाने के प्रावधानों की सिफारिशों भी की गई हैं, लेकिन इन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

विवेकाधीन शक्तियों की सीमाएँ

राज्यपाल के पास दो प्रकार की विवेकाधीन शक्तियाँ हैं:

- संवैधानिक (संविधान में उल्लिखित) और
- स्थितिजन्य (मौजूदा राजनीतिक स्थिति की अत्यावश्यकताओं से उत्पन्न)।

संविधान के अनुसार विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर है, लेकिन उच्चतम न्यायालय के अनुसार "राज्यपाल के विवेक के प्रयोग का क्षेत्र बहुत सीमित है"।

संवैधानिक विवेकाधिकार	परिस्थितिजन्य विवेकाधिकार
<ul style="list-style-type: none"> राष्ट्रपति के विचार हेतु विधेयक का आरक्षण। उच्चतम न्यायालय के अनुसार, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश न्यायिक समीक्षा का विषय है। केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के रूप में कर्तव्यों का पालन करना (अतिरिक्त प्रभार के मामले में)। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की सरकारों द्वारा खनिज अन्वेषण लाइसेंस से रॉयल्टी के रूप में एक स्वायत्त जनजातीय जिला परिषद को देय राशि का निर्धारण करना। राज्य के प्रशासनिक और विधायी मामलों के बारे में सीएम से जानकारी प्राप्त करना। 	<ul style="list-style-type: none"> मुख्यमंत्री की नियुक्ति तब की जाती है जब विधान सभा में किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं होता है या जब मौजूदा मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाती है और कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं होता है। विधान सभा का विश्वास प्रदर्शित करने में असमर्थ होने पर मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करना। मंत्रिपरिषद का बहुमत खो जाने पर विधान सभा को बर्खास्त करना। राज्यपाल पर विशिष्ट कर्तव्यों का भी आरोप लगाया जाता है जिन्हें राष्ट्रपति के निर्देशों के अनुसार पूरा किया जाना चाहिए। इस संबंध में, जबकि राज्यपाल को मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद से परामर्श करने की आवश्यकता होती है, वह अपने विवेक से कार्य करता है।

इंडिया गेमिंग रिपोर्ट 2024

संदर्भ: इंडिया गेमिंग रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारतीय गेमिंग बाजार का राजस्व संभावित रूप से वर्ष 2028 तक 6 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है, जो इसके वर्तमान मूल्य से दोगुना है।

➤ **भारतीय गेमिंग बाजार का विकास:**

- भारतीय गेमिंग बाजार वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ रहा है।
- भारतीय गेमिंग उद्योग का वार्षिक राजस्व वर्ष 2023 में 3.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से लगभग दोगुना होकर वर्ष 2028 तक 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने की उम्मीद है।
- इस उद्योग में भुगतान करने वाले गेमर्स की संख्या वर्ष 2023 में 144 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2028 तक 240 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है।

➤ **अवलोकन:**

- वर्तमान भारतीय गेमिंग उद्योग में 1400 से अधिक गेमिंग कंपनियां शामिल हैं, जिनमें 500 गेमिंग स्टूडियो भी शामिल हैं।

- इस समय भारत में लगभग 568 मिलियन गेमर्स और लगभग 15,000 गेम डेवलपर्स और प्रोग्रामर हैं।

➤ **मोबाइल गेमिंग का प्रभुत्व:**

- भारतीय गेमिंग बाजार में मोबाइल गेमिंग का योगदान 90% है, जबकि अमेरिका में यह योगदान लगभग 37% और चीन में लगभग 62% है।

➤ **जनसांख्यिकी और प्राथमिकताएँ:**

- भारत में लगभग 50% गेमिंग समुदाय 18 से 30 वर्ष की आयु सीमा के अंतर्गत आता है।
- भारत में गेमिंग प्राथमिकताएं मिड-कोर और हार्डकोर शैलियों की ओर झुकाव दर्शाती हैं, विशेष रूप से शूटिंग गेम जैसे क्षेत्रों में।

➤ **विकास चालक:**

- स्मार्टफोन में वृद्धि, सामर्थ्य और बड़ी हुई फोन मेमोरी भारतीय गेमिंग उद्योग के लिए प्रमुख चालक हैं।
- कम कीमत वाले डेटा प्लान भी उद्योग की वृद्धि में योगदान करते हैं।

➤ **नौकरी बाजार और अवसर:**

- भारत के ऑनलाइन गेमिंग उद्योग में अगले 10 वर्षों में 2.5 लाख और नौकरियां जुड़ने की उम्मीद है।
- वर्तमान में, उद्योग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 1 लाख कुशल गेमिंग पेशेवरों को रोजगार देता है।
- भारत में खेल विकास लागत पश्चिमी देशों की तुलना में 50-60% तक कम हो सकती है, जो इसे एक आकर्षक आउटसोर्सिंग गंतव्य बनाती है।
- रोजगार सृजन हेतु डेवलपर्स, प्रोग्रामर, परीक्षक, कलाकार और ग्राहक सहायता सहित विभिन्न भूमिकाओं में नौकरी की रिक्तियां 50,000 से 60,000 तक होती हैं।

➤ **सरकारी प्रयास:**

- सरकार ने भारतीय डिजिटल गेमिंग क्षेत्र में अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए एक डिजिटल गेमिंग अनुसंधान पहल शुरू की है।
- विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी) ने अनुसंधान के लिए तीन प्रमुख क्षेत्रों की रूपरेखा तैयार की है:
- सीखने और अवकाश गेमिंग प्लेटफॉर्म,
- इमर्सिव गेम प्रोटोटाइप और
- सहयोगी डिजाइन प्रक्रियाएं।
- इसके अतिरिक्त, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने राष्ट्रीय ब्रांडिंग के लिए भारतीय AVGC उद्योग को बढ़ावा देने के लिए AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स की स्थापना की है।

➤ **उद्योग का विनियमन:**

- वर्तमान में, भारत में कौशल गेमिंग उद्योग को नियंत्रित करने वाला कोई सुसंगत संघीय कानून नहीं है।
- ऑनलाइन गेमिंग उद्योग का विनियमन मुख्य रूप से संघीय स्तर पर सार्वजनिक जुआ अधिनियम और पुरस्कार प्रतियोगिता अधिनियम द्वारा निर्देशित होता है, जिसमें राज्य कानूनों को प्राथमिकता दी जाती है।
- राज्य सरकारों के पास जुआ संबंधी मामलों पर कानून बनाने का संवैधानिक अधिकार है।
- हाल ही में, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) को ऑनलाइन गेमिंग के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में नामित किया गया है, और सार्वजनिक परामर्श प्रक्रियाओं के बाद इस क्षेत्र में मध्यस्थों के लिए नियमों का मसौदा तैयार करने की योजना पर काम चल रहा है।


Face to Face Centres





NEWS IN BETWEEN THE LINES

भारत रत्न पुरस्कार



आज भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन में पूर्व प्रधान मंत्री चौधरी चरण सिंह और पी वी नरसिम्हा राव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, प्रख्यात वैज्ञानिक एम. एस. स्वामीनाथन एवं पूर्व उप प्रधान मंत्री और अनुभवही भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न पुरस्कार प्रदान करेंगे।

भारत रत्न पुरस्कार के बारे में:

- भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
- यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने विज्ञान, कला और साहित्य जैसे क्षेत्रों में राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
- प्राप्तकर्ताओं को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद (प्रमाण पत्र) और एक पीपल के पत्ते के आकार का पदक मिलता है, जिसमें पुरस्कार के साथ कोई मौद्रिक अनुदान नहीं जुड़ा होता है।
- इसकी स्थापना 1954 में की गई थी और यह जाति, व्यवसाय, स्थिति या लिंग की परवाह किए बिना लोगों को दिया जाता है।
- 1954 में पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर सी.वी. रमन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे।
- संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अनुसार, पुरस्कारों का उपयोग प्राप्तकर्ता के नाम के उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता है।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम



संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने हाल ही में अपनी खाद्य अपव्यय सूचकांक रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया गया है कि 2022 में, विश्व स्तर पर उत्पादित भोजन का लगभग 19% बर्बाद हो गया जो वैश्विक रूप से 783 मिलियन टन के बराबर है।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के बारे में:

- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) की स्थापना 1972 में संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत एजेंसी के रूप में वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए की गई थी।
- यह जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता संरक्षण, प्रदूषण रोकथाम और पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन जैसे मुद्दों पर कार्यवाही को प्रोत्साहित करने का काम करता है, जिसका लक्ष्य वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण की रक्षा करना है।
- यह कई सतत विकास लक्ष्य (SDG) संकेतकों के लिए संरक्षक एजेंसी के रूप में कार्य करता है, जिसमें SDG 12.3.1 (b) भी शामिल है, जिसका लक्ष्य खुदरा और उपभोक्ता स्तरों पर प्रति व्यक्ति वैश्विक खाद्य अपव्यय को आधा करना है।
- यह स्वच्छ समुद्र अभियान जैसे समुद्री प्रदूषण से निपटने, UN75, जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते और वैश्विक पर्यावरण दृष्टिकोण रिपोर्ट जैसे कई वैश्विक पहल और अभियानों का नेतृत्व और समर्थन करता है।
- यह अपने पर्यावरणीय लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों, व्यवसायों और अन्य संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के साथ मिलकर सहयोग करता है।
- इसका मुख्यालय नैरोबी, केन्या में स्थित है।

जिप्स गिद्ध



हाल ही में, यह पाया गया है कि मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में स्थित मोयार घाटी या मायार (अदृश्य नदी) घाटी जिप्स गिद्धों की सबसे बड़ी घोंसले वाली कॉलोनी को आवास प्रदान करता है।

जिप्स गिद्ध/भारतीय गिद्ध के बारे में:

- भारतीय गिद्ध (जिप्स इंडिक्स) सफेद पंख और काले शरीर वाला एक मध्यम आकार का गिद्ध है, जो भारतीय उपमहाद्वीप का स्थानिक है।
- इसकी पीली चोंच, पीला कॉलर और गहरे रंग के सिर और गर्दन पर सफेद पंख होते हैं।
- यह अपने निवास स्थान में एक प्रमुख प्रजाति है, जो सड़ते हुए मांस को हटाकर पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो अन्यथा बीमारी फैलाता।
- यह प्रायः झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान में पाया जाता है।
- पशु दुर्घटना दवा डाइक्लोफेनाक के कारण गिद्ध की जनसंख्या में 97-99% की कमी आई है।
- भारत ने 2006 में डाइक्लोफेनाक के पशु चिकित्सा उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए कदम उठाए हैं और 2023 में केटोप्रोफेन और एसेक्लोफेनाक जैसी अन्य दवाओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।
- इस प्रजाति को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) द्वारा गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम-1972 की अनुसूची-I के तहत सूचीबद्ध किया गया है।

तेजस Mk1A



हाल ही में, हल्के लड़ाकू विमान तेजस एमके1ए ने बेंगलुरु में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड सुविधा से अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की।

तेजस एमके1ए के बारे में:

- तेजस एमके1ए हल्के लड़ाकू विमान (एलसीए) का एक उन्नत संस्करण है जो अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक रडार, युद्ध प्रणाली, संचार प्रणाली और युद्ध क्षमताओं से सुसज्जित है।
- इसमें एक सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन किए गए एए (ईईएसए) रडार की सुविधा है, जो इसकी पहचान और ट्रैकिंग क्षमताओं को बढ़ाता है।
- विमान इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट से सुसज्जित है जो दुश्मन के खतरों के खिलाफ रक्षात्मक क्षमता प्रदान करता है।
- यह दृश्य-सीमा से परे मिसाइलों से लैस है जो इसे लंबी दूरी पर लक्ष्य पर हमला करने की क्षमता प्रदान करता है।
- इसमें हवा से हवा में ईंधन भरने की क्षमता भी है, जो इसकी परिचालन सीमा और क्षमता को बढ़ाती है।

Face to Face Centres





30 March, 2024

सुर्खियों में स्थल

मॉरिटानिया

हाल ही में, विदेश मंत्रालय (एमईए) ने घोषणा की कि भारत और मॉरिटानिया ने नौआकोट में अपना उद्घाटन विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया है।

मॉरिटानिया (राजधानी: नौआकोट)

अवस्थिति: मॉरिटानिया, जिसे आधिकारिक तौर पर इस्लामिक गणराज्य मॉरिटानिया के रूप में जाना जाता है, उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में एक संप्रभु देश है।

भौगोलिक सीमाएँ: मॉरिटानिया अपनी सीमाएँ माली (पूर्व और दक्षिणपूर्व, अटलांटिक महासागर (पश्चिम), पश्चिमी सहारा (उत्तर और उत्तरपश्चिम), अल्जीरिया (उत्तरपूर्व) और सेनेगल (दक्षिणपश्चिम) के साथ साझा करता है।

भौतिक विशेषताएँ:

- मॉरिटानिया का सबसे ऊँचा स्थान माउंट इजिल है जिसे केडिएट इजिल के नाम से भी जाना जाता है।
- सेनेगल नदी जो सेनेगल के साथ अपनी सीमा बनाती है, मॉरिटानिया की प्रमुख नदी है।
- लौह अयस्क, तांबा, सोना, जिप्सम और फॉस्फेट मॉरिटानिया में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिजों में से हैं।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध: मॉरिटानिया संयुक्त राष्ट्र (यूएन), अफ्रीकी संघ (एयू), अरब लीग और इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) सहित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों का सदस्य है।



POINTS TO PONDER

- हाल ही में किस संगठन ने अपना 70वां संस्थापक दिवस मनाया, जहां उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भाषण दिया? – भारतीय लोक प्रशासन संस्थान
- हाल ही में हल्के लड़ाकू विमान तेजस Mk1A की सफल पहली उड़ान कहाँ हुई? – बेंगलुरु की हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) सुविधा
- खाद्य अपशिष्ट सूचकांक (FWI) रिपोर्ट 2024 हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी की गई है? – संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी)
- कौन से संवैधानिक अनुच्छेद हिरासत में मृत्यु के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करते हैं? – अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार)
- भारत ने हाल ही में हिंद महासागर के किस क्षेत्र में अन्वेषण अधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीबेड अथॉरिटी (आईएसबीए) में आवेदन किया है? – अफानसी निकितिन सीमाउंट (एएन सीमाउंट)

Face to Face Centres

